थल सेना दिवस पर अदम्य साहस,बहादुरी और पराक्रम के प्रतीक, देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले सैनिकों को सादर नमन

—— मनोज सिन्हा, एलजी, जम्मू-कश्मीर

रचनात्मक स्वायत्तता आवश्यक है, लेकिन सुरक्षा उपायों के साथ।

—— अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री

लापता व्यक्ति की हत्या रजवाहे में मिला शव

मोदीनगर (एसएनबी)। नंदनगरी से बीते दिन गायब हुए व्यक्ति की हत्या कर दी गई। रविवार की सुबह को शव तिबड़ा रोड राजवाहे के पास स्थित गन्ने के खेत में पड़ा मिला। इस संबंध में मृतक के पुत्र की ओर से अज्ञात में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मूलरूप से गौतमबुध नगर के चिपयाना का रहने वाला 55 वर्षीय राकेश कुमार यहां अपने परिवार के साथ नंद नगरी कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था और इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। शनिवार की दोपहर राकेश घर से निकला था लेकिन जब देर तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोज की लेकिन कोई पता नहीं चल सका। रविवार की सुबह जब पुलिस को सूचना मिली कि गन्ने के खेत में एक शव पड़ा हुआ है तो पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की तलाशी ली तो उसकी जेब से आधार कार्ड निकला और फिर आधार कार्ड के जरिए पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।

निशुल्क जांच शिविर आयोजित

साहिबाबाद (एसएनबी)। डीएलएफ कालोनी वार्ड 10 में रविवार को आप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लीलू प्रधान के सौजन्य से श्रेया हॉस्पिटल शालीमार गार्डन द्वारा डेंटल एवं हेल्थ चेकअप कैम्प लगाया गया । इस शिविर में करीब 250 लोगों के दांतों की जांच की गई। इसके अलावा उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह की जांच की गई। शिविर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चला। शिविर में डॉक्टर पलक जैन, डॉ.जुशी गर्ग, निकिता, सूर्या लक्ष्मण हॉस्पिटल की डॉ0 एसपी तिवारी हिमांशु खातानी के अलावा तन्नू दीवान जिला उपाध्यक्ष एसपी यादव, विशाल आकाश , जय भगवान, श्री .ष्णा, रविन्द्र भटनागर, विशाल, कल्लू, हरीपाल तथा अशोक आदि लोग रहे मौजूद रहे।

संडे बना फन डे, दर्शकों का लगा तांता

इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे ऑटो एक्सपो में रविवार को उमड़े वाहन प्रेमी। फोटो : एसएनबी

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे ऑटो एक्सपो- द मोटर वाहन शो में पहुंचे दर्शकों के लिए संडे का शो फन डे बन गया। परिवार के साथ आए लोगों ने चमचमाती गाड़ियों का दीदार करने के साथ पिकनिक का भी आनंद उठाया। छुट्टी का दिन होने की वजह से दूसरे दिन भी दर्शकों का तांता लगा रहा है, जिसके चलते इंट्री गेट पर लंबी लाइन लग गई। भीड़ को नियंत्रित करने में सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा 11 से 18 जनवरी तक आयोजित ऑटो एक्सपो-2023 शनिवार से आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। शनिवार को जहां एक लाख से अधिक लोग पहुंचे ,वहीं रविवार को भी दिल्ली एनसीआर के लोगों में ऑटो एक्सपो का जुनून कायम रहा। छुट्टी का दिन होने की वजह से ज्यादातर लोग परिवार के साथ आए हुए थे। विभिन्न कंपनियों के पवेलियन में जाकर लोगों ने गाड़ियों का दीदार किया। इस दौरान लोग मौज मस्ती के मूड में दिखे। ऐसे में संडे का शो फन डे बन गया। धूप खिलने से भी दर्शकों की संख्या में इजाफा हो गया।

बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र हासिल की जानकारी : ऑटो एक्सपो शो में रविवार को बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। छात्र वाहन निर्माता कंपनियों के पवेलियन में नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करते दिखाई दिए। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में स्थित 50 से अधिक कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ऑटो एक्सपो शो में विशेषकर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। रविवार को जीएनआईओटी, लॉयड, एनआईईटी, शारदा विवि व जीएल बजाज सहित कई कालेजों के छात्रों ने एक्सपो मार्ट में पहुंचकर ऑटो इंडस्ट्री में हो रहे बदलाव व नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की।

मर्सडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर की कमी खली : ऑटो एक्सपो-2023 में मर्सडीज, बीएमडब्ल्यूए, जगुआर व महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां हिस्सा नहीं ले रही हैं। ऐसे में इनकी कमी खल रही है। सपनों की कारों का दीदार न होने पर थोड़ी निराशा हुई। इन कंपनियों की गाड़ियों को देखने की उत्सुकता लोगों में ज्यादा रहती है।

ऑटो एक्सपो : 2023

- परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने गाड़ियों का दीदार करने के साथ मनाई पिकनिक
- बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने ऑटो इंडस्ट्री में हुए बदलाव के बारे में जाना
- धूप खिलने से भी दर्शकों की संख्या में हुआ इजाफा

कार्ड बदलकर खरीदा 89 हजार रुपए का आईफोन

नोएडा (एसएनबी)। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड को बदलकर 89 हजार का आईफोन खरीदने का मामला सामने आया है। पीड़ित को बैंक से लोन पास होने का मैसेज आने पर मामले की जानकारी हुई। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

सेक्टर-61 निवासी अनंत मल्होत्रा ने बताया कि उनके पास दो दिन पहले उनके वैंक खाते से लोन पास होने का मैसेज आया। इसको देखकर वह चौक गए। जब उन्होंने बैंक जाकर इसका स्टेटमेंट चेक कराया तब उन्हें पता चला किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके क्रेडिट कार्ड को बदलकर 89 हजार का ईएमआई कराया है। जिसके जरिए आरोपी ने आईफोन 14 खरीद लिया है। उन्होंने जब इसकी डिटेल निकलवाया तब पता चला आरोपी ने रिलायंस डिजिटल स्टोर से ऑनलाइन आईफोन की खरीदा है। आरोपी की पहचान राहुल कुमार निवासी देवघर झारखंड के रूप में हुई है। इसके बाद उन्होंने कस्टमर केयर के पास कॉल करके ईएमआई ब्लॉक कराने की बात की। हालांकि अभी तक ईएमआई उनके खाते पर चालू है। घटना के बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस और वैंक में दिया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

- पीड़ित को बैंक से लोन पास होने का मैसेज आने पर हुई मामले की जानकारी

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008 कार्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLCO38137

अचल संपत्ति की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की अनुवर्ती बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां) **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** ("प्रतिभूत लेनदार") को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की **कर्जदार/रों नामतः 1. मैसर्स जे प्रसाद एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड ("कर्जदार") और 2. श्रीमती अविनाश चावला ("गारंटर/बंधकदाता") और 3. श्री अमित चावला ("गारंटर")** की तरफ मांग सूचना दिनांकित 04–10–2019 के अनुसार 30 सितंबर 2019 तक बकाया **रु. 22,66,15,651.79 (रूपए बाईस करोड़ छियासठ लाख पंद्रह हजार छह सौ इक्यावन तथा पैसे उनासी मात्र)** पूर्ण और अंतिम भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक 03 फरवरी, 2023 को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जो है आधार" और "जो कुछ है वहां है आधार"** पर बेची जाएगी। नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ वर्णन, सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा और नीलामी कार्यक्रम नीचे वर्णित किया गया है :

क्र. सं.	बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर)/ धरोहर राशि जमा
1.	श्रीमती अविनाश चावला	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : शक्ति नगर, रोशनारा एक्सटेंशन स्कीम, दिल्ली में स्थित 2520 वर्गफीट कुल परिमाप की संपत्ति संख्या 29/1 में वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में चार दुकानें और भूतल में एक गोदाम तथा मेजेनाइन तल का हिस्सा क्षविभाजन विलेख दिनांक 02–03–2000 के साथ संलग्न साइट प्लान में लाल रंग में दिखाया गया है (उक्त भाग)द्व सभी मौजूदा भवनों और संरचनाओं और भवन और संरचनाओं के साथ–साथ जो निर्मित हैं/संबधित बंधक की तिथि के बाद में किसी भी समय निर्मित की जा सकती है, सहित और सभी फिक्स्चर और फर्नीचर और पृथ्वी से जुड़े सभी संयंत्र और मशीनरी या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, वर्तमान और भावी दोनों सहित।	02 फरवरी, 2023 को अथवा पूर्व अप. 4.00 बजे तक	03 फरवरी, 2023 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तारों के साथ	रु. 8,20,00,000/– (रूपए आठ करोड़ बीस लाख मात्र) रु. 82,00,000/– (रूपए बयासी लाख मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विवेक पर और संभावित खरीदारों के पूर्व अनुरोध पर, उक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 23 जनवरी, 2023 को अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक के बीच कर सकते हैं। **महत्वपूर्ण नियम और शर्तें** : 1. ई–नीलामी वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से 03 फरवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी। 2. ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए, इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं, **संपर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान– 98138–87931, ईमेल : delhi@clindia.com और support@bankeauctions.com. हेल्पलाइन नंबर 91–124 4302020/2021/2022/2023/2024. सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124/25/26.** 3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/या https://auctions.kotak.com पर जा सकते हैं। 4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया मे भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी। 5. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है। 6. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र मे भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर 02 फरवरी, 2023 तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी दस्तावेज vikram.sharma@kotak.com पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए।बोलीदाता को ईमेल का विषय **"मैसर्स जे प्रसाद एंड कंपनी प्रा. लि." के खाते में संपत्ति के क्रय हेतु"** लिखना चाहिए। 7. संभावित बोलीदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। 8. **धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से खाता संख्या 0641012527200‌1, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958 में 02 फरवरी, 2023 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक** जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी जमा करने मे या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने मे देरी के मामले मे, अधिकृत अधिकारी, अधिकतम बोली भागीदारी और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नही मिलेगा। 9. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों मे बढ़ानी होगी। 10. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। 11. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति मे अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित मोड मे जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनो, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार को घटना मे दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने मे विफल रहता है। 12. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नही होगा जब तक कि उसके पक्ष मे बिक्री प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए प्रतिभूत लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी। 13. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने मे विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध मे सरफासी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। 14. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी भी दावे पर विचार नही करेगा। 15. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 16. नीलामी के सफल बोलीदाता/ बोलीदाताओं को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 17. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों मे आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 18. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति मे, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती है, तो अधिकृत अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है। 19. ऊपर अनुसूची मे निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उदघोषणा मे किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नही होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह निमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और नीलामी को प्रभावित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नही बनाता है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने और/या स्वीकार नही करने और/या किसी भी इच्छुक पार्टी/संभावित निवेशक/बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 20. संभावित बोलीदाताओं को एतद्द्वारा सूचना/चेतावनी दी जाती है कि बैंक के पास यहां ऊपर उल्लिखित पूरी संपत्ति का भौतिक कब्जा है, सिवाय एक दुकान को छोड़कर जो कि एक विवादित किराएदारी के तहत है। पट्टेदार/किरायेदार ने डायरी संख्या एनडीएन/394/2021 के द्वारा माननीय डीआरटी–III, नई दिल्ली के समक्ष विवादित किराएदार परिसर के लिए दायर किया है जिसमें 25 वर्ग मीटर क्षेत्र की एक दुकान तथा 12 वर्ग मीटर क्षेत्र का मेजेनाइन फ्लोर शामिल है, जो 29/1, नागिया पार्क, शक्ति नगर, दिल्ली –7 ("किरायेदार परिसर") का हिस्सा है और "अविनाश चावला बनाम दर्शन लाल चावला", ई नंबर 02/17, नया नंबर 18/17, किराएदार परिसर के संबंध में जो कि किराया नियंत्रक, मध्य जिला, तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष न्याय निर्णयन के लिए लंबित है। बैंक माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष किरायेदारी के दावे का उचित रूप से बचाव कर रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार को उपरोक्त उल्लिखित विवाद को छोड़कर नीलामी के अधीन संपत्ति के संबंध में किसी अन्य मुकदमे/दावे/विवाद की जानकारी नही है। 21. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकरण की बकाया राशि अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और हस्तांतरण शुल्क/प्रभार सहित किसी भी अन्य बकाया या करों के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध मे सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें। 22. इस क्रम मे, यदि बोली लगाने वाले को आयोजित ई–नीलामी बिक्री मे सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने तक किसी भी स्तर पर रोक दी जाती है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकना शामिल है, लेकिन बोलीदाता के पास उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी/राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या हर्जाने और/या दावों के जमा की गई धनराशि वापस कर देगा और किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नही किया जाएगा। 23. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी। 24. वर्तमान नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध मे सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य बकाया या करों का भुगतान नीलामी खरीददार द्वारा ही किया जाएगा। 25. अन्य सभी अनुषंगी शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा शुल्क या रखरखाव शुल्क सहित लेकिन सीमित नहीं) बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को अदा/प्रतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर, भविष्य के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी न्यायोचित और तर्कसंगत देरी को छूट के लिए माना जाएगा। 26. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र) और उससे अधिक है, तो बिक्री से प्राप्त राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से बंधक रखने वाले श्री अविनाश चावला के पैन नंबर– AACPC7230L के पक्ष में लागू टीडीएस (1%) काटकर जमा करेगा और उसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को प्रेषित किया जाना है। सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस की जमा राशि के चालान के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। 27. ई–नीलामी "जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जैसा है आधार" और "जो कुछ भी है आधार" यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जाएगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/परिवर्तित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति और विवरण, स्थिति, किसी भी भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में किसी भी भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व रिकॉर्ड/नगरपालिका रिकॉर्ड और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकारी रिकॉर्ड में खोजें और खुद को संतुष्ट करें। कृपया ध्यान दें कि बैंक/अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/संपत्तियों/संपत्तियों की फिटनेस/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिक्री/नीलामी पूर्णतया बिना किसी सहारा (नो रिकोर्स) के आधार पर होगी। 28. यदि सभी लागतों के साथ बैंक की देय राशि, उनके द्वारा या उसके द्वारा किए गए खर्च, जो बैंक को स्वीकार्य हो सकते हैं, कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता/ओं की ओर से बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय अदा किए जाते है, तो नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नही पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित /बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध मे उनका निर्णय अंतिम होगा। 29. प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध मे कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक या उसकी ओर से किए गए सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की धरोहर राशि या सुरक्षित मूल्य से अधिक राशि या इंटर–से बिडिंग के बाद उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी /गारंटर/बंधक की ओर से/की ओर से, उनके द्वारा पहचाने गए एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से भी नीलामी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय, बिक्री या नीलामी की उसी तारीख को या बोली की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले/बाद मे उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा सहित और बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने के बाद भी लेकिन सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, बैंक को प्रदान कर दी जाती है/प्रदान करने का वचन दिया जाता है, तो संपत्ति की नीलामी/बिक्री प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेक पर और बिना कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नही पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर या बदल सकता है और इस संबंध मे उनका निर्णय होगा अंतिम होगा। बोलीदाता और/या सफल–बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रति–प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। 30. प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नही पायी जाती है, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध मे उनका निर्णय अंतिम होगा। 31. बोलीदाताओं को बिक्री के नियमो और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। 32. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी ; पावर बैक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नही होगा। 33. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध मे किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नही होंगे। 34. यदि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र मे बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले मे अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप मे माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। 35. वर्तमान नोटिस को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.kotak.com पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पक्ष इसे देख भी सकते हैं। 36. अतिरिक्त विवरणों के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री विक्रम शर्मा (मोबाइल नंबर +91–9654214923) या बैंक के अधिकारी श्री अजय निगम (मोबाइल नंबर +91–7291971536 और श्री दीपांशु सिंह (मोबाइल नंबर +91–9953965199) से संपर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत अनुवर्ती बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्द्वारा निम्नलिखित मे देयता का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है इस नोटिस की तारीख से **15 (पंद्रह) दिनों** के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर "प्रतिभूत आस्ति" (उपरि वर्णित) ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी।

स्थानः दिल्ली
तिथि : 13 जनवरी, 2023

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

प्लेन जैसी सुविधाओं से लैश है वॉल्वो की गैलेक्सी कोच बस

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित वोल्वो की गैलेक्सी कोच बस दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सबसे आगे है। यह बस प्लेन जैसी सुविधाओं से लैश है। इस पर लिखा जी-20 भारत गौरव बढ़ाने का काम कर रहा है। बस को अंदर से जाकर देखने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। इस बस में किसी शाही सवारी से कम सुविधाएं नहीं है। प्लेन के बिजनेस क्लास की तरह इसमें 10 केबिन बनाए गए हैं। इस बस में किचन, बाथरूम के साथ ही कई अन्य सुविधाएं हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश वॉल्वो बस में यात्रियों के लिए प्रत्येक केबिन में पर्याप्त स्पेस है। आराम से बैठ और लेट सकते हैं। यही नहीं प्रत्येक यात्री को टच स्क्रीन के साथ एक मनोरंजन प्रणाली है। बस के पिछले हिस्से में एक शौचालय है और एक छोटी पेंट्री भी है। खाना या नाश्ता सीट से ही ऑर्डर किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि यह बिजनेस क्लास बस ऑर्डर पर बनाई जाएगी और इसकी अनुमानित लागत लगभग दो करोड़ रुपए या इससे अधिक होगी। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि इसमें सफर करने वाले व्यक्ति को हवाई सफर का अहसास होगा।

- बस के ऊपर लिखे जी-20 भारत की वजह से भी आकर्षित हो रहे लोग

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार ने स्वयं को **आई०टी०एस० स्कूल ऑफ मेनेजमेन्ट एल्युमनी एसोसिएशन, मैन जीटी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद** का अध्यक्ष बताते हुए सोसाइटी रजिस्टेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क व आलेख प्रस्तुत किये है। आलेखों के अनुसार सर्वश्री धीरज कुमार वर्मा उपाध्यक्ष, कुनाल वेदी सचिव, रेशु मिश्रा सहसचिव, राजर्षि सेनगुप्ता कोषाध्यक्ष, हिमांशु पालीवाल, अक्षय आशीष, कौशिकी वासु, तरूषी जैन, वैशाली मलिक व अंकित पाल सदस्य दर्शाये गये है।

यदि किसी व्यक्ति को प्रश्नगत समिति के पंजीकरण के विरूद्ध आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति प्रमाणों सहित प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पत्र पर विचार किया जाना संभव न होगा और गुण दोष के आधार पर समिति के पंजीकरण के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

विदित हो कि उक्त नोटिस सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण की धारा-3(1) के परन्तुक के अंतर्गत जारी की जा रही है।

आज्ञा से-
डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स,सोसाइटीज
एवं चिट्स,विकास विहार, मोहनपुरी, मेरठ

पहचान की अपील

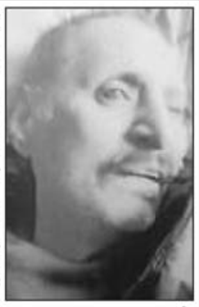

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति का शव जिसका **नाम:** नामालूम, **पुत्र:** नामालूम, **पता:** नामालूम, जिसकी **उम्र:** लगभग 55 साल, **कद:** 5'8", **रंग:** सांवला, **पहनावा**-नीले रंग की लोवर और नीले रंग का जैकेट पहने हुए है । जो दिनांक 28.12.2022 को सुबह 11.45 बजे कम्युनिटी सेंटर मादीपुर कॉलोनी पुरानी पुलिस चौकी के पास, दिल्ली में मृत पाया गया । इस संदर्भ में **डीडी सं. 25A दिनांक 28.12.2022 को पुलिस थाना पंजाबी बाग, दिल्ली में दर्ज है ।**
स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस मृत व्यक्ति का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है । अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें ।

थानाध्यक्ष
पुलिस थाना पंजाबी बाग, दिल्ली
Ph. : 9717330129

DP/483/WD/2023

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि **अभियुक्त जतिन उर्फ गोलू, पुत्र कमल भसीन, पताः** डी–1/322/323, नंद नगरी, दिल्ली ने **FIR 426/2014 U/s 356/379/411 IPC** थाना मानसरोवर पार्क, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **जतिन उर्फ गोलू** मिल नही रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **जतिन उर्फ गोलू** फरार हो गया हैं (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR 426/2014 U/s 356/379/411 IPC** थाना मानसरोवर पार्क, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **जतिन उर्फ गोलू** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **27.02.2023** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री अंकुर पंघाल,
महानगर दण्डाधिकारी– 06,
कमरा नं. 37, भूतल,
कड़कड़डूमा कोर्ट, शाहदरा, दिल्ली

DP/398/SHD/2023

27 लाख के गबन का आरोपी पकड़ा

नोएडा (एसएनबी)। शटरिंग का सामान किराये पर लेकर 27 लाख रुपए का गबन करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

आरोपी गाजियाबाद के साहिबाबाद का रहने वाला शैलेंद्र तिवारी है। खुद को ट्रांसपोर्टर बताकर आरोपी और उसके साथियों ने शटरिंग का सामान लेने के संबंध में एग्रीमेंट कराया और 27 नवंबर और 14 दिसंबर को सामान किराये पर लिया। इसका किराया 81 हजार रुपये प्रतिमाह तय हुआ था। पीड़ित ने शैलेंद्र तिवारी और उसके साथियों पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने अनुसार शैलेंद्र ने दो माह का किराया दिया और उसके बाद किराया देना बंद कर दिया।

आरोपी ने 27 लाख रुपए कीमत का सामान वापस भी नहीं किया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। आरोपी को सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन के पास आया, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे दबोच लिया।

विदेश से पार्सल भेजने के नाम पर ठगे ₹ 96 हजार

नोएडा (एसएनबी)। साइबर ठगों ने विदेश से पार्सल भिजवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 96 हजार रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और पीड़ित को गिरफ्तारी का भय दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर थाना सेक्टर 58 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-61 निवासी दीपक दास ने बताया कि उनके पास कुछ दिन पहले एक महिला का फोन आया था। उसने खुद को मुंबई स्थित एक कुरियर की कंपनी का कर्मचारी होने की बात कही। महिला ने उन्हें बताया कि उनके नाम से विदेश से पार्सल आया है, जिसमें कुछ संदिग्ध चीजें हैं। इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके बाद उसने कॉल एक अन्य व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दी। उस व्यक्ति ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। उसने गैर कानूनी गतिविधि के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही। इस दौरान आरोपियों ने मानसिक रूप से उन्हें काफी परेशान किया। इसके बाद मामले को निपटाने के लिए उनसे रुपये की मांग करने लगे। डर के कारण दीपक ने 96 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

- आरोपी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया

सड़क दुर्घटना में घायल बच्चे का किया नि:शुल्क उपचार

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल नौ साल के बच्चे का समय रहते निःशुल्क इलाज कर यथार्थ अस्पताल ने जान बचाने का काम किया है। पुलिस को बच्चा घायल अवस्था में मिला था। पुलिस, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व किसान यूनियन के सहयोग से उसे।भर्ती कराया गया था। बच्चे को जिस समय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस समय उसके परिजन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सड़क दुर्घटना में घायल 9 साल के बच्चे को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। बच्चे की गंभीर हालत देख डॉ. कुशाग्र गुप्ता की अध्यक्षता में आपातकालीन डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। जीवन रक्षक उपाय के रूप में वास की नली डाली गयी और सभी सहायक उपचार किए गए। बच्चा दो दिन तक मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रहा। सीटी स्कैन में दोनों तरफ के जबड़े का फ्रैक्चर पाया गया और खोपड़ी के बायीं ओर की सिर की हड्डी टूट के दिमाग में घुस चुकी थी। मरीज की हालत को देख कर सर्जनों की एक टीम बनाई गयी जिनमें न्यूरोसर्जन डॉ. पुनीत राणा व डॉ. अंकित और सर्जन डॉ. सौरभ कुमार रावत शामिल थे। डॉ. कुशाग्र गुप्ता के नेतृत्व में बाल चिकित्सा टीम ने बच्चे का इलाज किया। बच्चा जल्द ही पूरी तरह से होश में आ गया और मुंह से भोजन करने लगा। वह अब अपने माता-पिता की देखरेख में डिस्चार्ज होने के लिए पूरी तरह से फिट है। यथार्थ वैलनेस एंड ट्रामा सेंटर, ग्रेटर नॉएडा के असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर डॉ. सुनील बालियान का कहना है कि सड़क दुर्घटना के मरीजों के लिए पहले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण होते है और अक्सर, पीड़ित के परिवार के सदस्यों से संपर्क करने और उनके अस्पताल आने में काफी समय लगता है। इस केस में भी बच्चे के साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं था। अस्पताल का लगभग सात लाख रुपए का खर्च था, जिसे पूर्णतः निःशुल्क किया गया।

- पुलिस को घायलावस्था में मिला था बच्चा